राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः– एफ 12(1) ग्रावि/नरेगा/अ. अवकाश/2015 जयपुर , दिनांकः 20 JUN 2018

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान,

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा कार्मिको द्वारा कार्य बहिष्कार कर हडताल पर चले जाने पर संविदा समाप्त किये जाने बाबत।

प्रसंगः–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्र. 12(1) ग्रावि/ अ.अवकाश/ 2015 दिनांक 31.05.18 एवं 06.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों की हडताल को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा निर्देशों के क्रम में विभिन्न जिलों में कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित चल रहे संविदा कार्मिकों की संविदा सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की गई।

इस सम्बन्ध में कुछ जिलों से इस बाबत् मार्गदर्शन चाहा जा रहा हैं, कि जिन संविदा कार्मिकों के अनुबन्ध समाप्त किये गये हैं वे संविदा कार्मिक यदि वापस काम पर आना चाह रहे है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में राज्य स्तर पर किये गये विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. यदि कोई संविदा कार्मिक बिना किसी शर्त के काम पर वापस आने का निवेदन करता है तो उसके निवेदन पर सहानुभूतिपुर्वक विचार किया जाकर पुनः नवीन अनुबन्ध पर लिये जाने की अनुमति दी जाती हैं।
2. कार्य बहिष्कार /अनुपस्थिति अवधि के दौरान पडने वाले राजपत्रित अवकाश की गणना हडताल अवधि में नहीं करते हुये कलेण्डर वर्ष 2018 में संविदा कार्मिकों को देय आकस्मिक अवकाश के उपभोग के पश्चात शेष आकस्मिक अवकाश को समायोजित करते हुये शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावे।
3. ऐसे संविदा कार्मिक जिनका अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है, भविष्य में बिना अनुमति के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सेवायें स्थायी रूप से समाप्त कर दी जावेगी।
4. संविदा कार्मिकों को निर्धारित प्रपत्र में पूर्व की अनुबन्ध सेवाओं का लाभ देते हुये पुनः अनुबन्ध किया जावेगा।

भवदीय

(पी.सी. किशन)
आयुक्त,ईजीएस

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned by CamScanner